भारतीय खाद्य निगम
FOOD CORPORATION OF INDIA
क्षेत्रीय कार्यालय, REGIONAL OFFICE
टी०सी०/3 वी० विभूति खण्ड,.C./3V Vibhuti Khand
गोमती नगर, लखनऊ, Gomti Nagar, Lucknow-226010

वाणिज्य अनुभाग:Commercial Section

Phone No.-0522-4914232, 4914229
Fax No.-0522-4914232, 4914264
E-mail Id-agmcommlup.fci@nic.in

संख्या: जे/12(1)/एम.डी.एम./2015-16 दिनांक:01.04.2015

सेवा में, **ई मेल द्वारा**

क्षेत्र प्रबंधक
भारतीय खाद्य निगम
जिला कार्यालय
आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बाँदा, बरेली, बुलंदशहर, फैजाबाद, गोंडा, गोरखपुर ,हापुर, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, वाराणसी

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही (अप्रैल से जून 2015 एवं जुलाई से सितम्बर 2015) हेतु मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत खाद्यान्न के आवंटन के सम्बन्ध में |

महोदय,

हमारे मुख्यालय ने अपने पत्रांक 26/1/2015-16/एम.डी.एम./सेल्स दिनांक 26 फरवरी 2015 के द्वारा अवगत कराया है की मानव संसाधान विकास मंत्रालय ने अपने पत्रांक 5-1/2015-डेस्क(एम.डी.एम.)दिनांक: 05.02.2015 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु माध्याह्न भोजन योजनन्तार्गत निम्नांकित आवंटन दिया है

अवधि	स्तर	चावल	गेहूँ	योग (मी. टन)
प्रथम त्रैमास	प्राथमिक	26749.070	13174.910	39923.980
	उच्च प्राथमिक	16271.740	8014.440	24286.180
	योग	**43020.810**	**21189.350**	**64210.160**
द्वितीय त्रैमास	प्राथमिक	40123.600	19762.370	59885.970
	उच्च प्राथमिक	24407.610	12021.660	36429.270
	योग	**64531.210**	**31784.030**	**96315.240**

जिसके सापेक्ष उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्रांक 320/79-6-2015 दिनांक 24 मार्च 2015 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा उक्त वर्णित मात्रा का जनपदवार आवंटन दिया है |

अतः आप से अनुरोध है की उप सचिव के पत्रानुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 प्रथम एवं द्वितीय (अप्रैल से जून 2015 एवं जुलाई से सितम्बर 2015) हेतु आवंटित खाद्यान्न की मात्रा बी.पी.एल. दर पर अन्य लागू होने वाले टैक्स लेने के बाद मंत्रालय के उपरोक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशानुसार एवं दी गयी वैधता अवधि के भीतर राज्य सरकार को जारी करने का कष्ट करें | खाद्यान्न के मूल्य का भुगतान मानव संसाधान विकास मंत्रालय के पत्रांक 5-1/2015 -डेस्क(एम.डी.एम.)दिनांक: 05.02.2015 अनुसार सम्बंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा भारतीय खाद्य निगम से बिल मिलने के 20 दिनों भीतर किया जायेगा | कृपया सुनिश्चित करें की उक्त योजनान्तर्गत खाद्यान्न का निर्धारित मात्रा से अधिक उठान न हो एवं उठान की गयी मासिक मात्रा से क्षेत्रीय कार्यालय को नियमित रूप से अवगत कराये |

भवदीय,

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(अमित भूषण)
उप महाप्रबंधक (वाणिज्य)
कृते महाप्रबंधक (उ०प्र०)

प्रतिलिपि:

1. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
2. निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, तृतीय तल, अपट्रान बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ
3. सहायक महाप्रबंधक (परिचालन), भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
4. सहायक महाप्रबंधक (वित्त), भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

कृते महाप्रबंधक (उ०प्र०)

1/4/15